उत्तर प्रदेश शासन
भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग
संख्या-12/2022/236रिट(1)/86-2022
लखनऊः दिनांक 28 अप्रैल,2022

कार्यालय-आदेश

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली,2021 के नियम-80 के अन्तर्गत पुनरीक्षण (Revision) हेतु निम्नलिखित प्राविधान किया गया है :-

''राज्य सरकार स्वप्रेरणा से किसी भी समय या आदेश की संसूचना के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर प्रार्थना पत्र दिये जाने पर जिला अधिकारी, समिति, निदेशक, या मण्डलायुक्त द्वारा इस नियमावली के अधीन पारित किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही से संबंधित अभिलेख मांग सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और ऐसा आदेश पारित कर सकती है, जैसा कि वह उचित समझे।''

2. उक्त प्रदत्त शक्तियों के अधीन जनपद/मण्डल स्तर पर पारित किसी आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण की कार्यवाही की जाती है। इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर कार्यरत अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म को शक्तियां प्रतिनिधानित हैं, जिनके समक्ष जनपद/मण्डल स्तर पर पारित किसी आदेश से असंतुष्ट होने पर संबंधित पक्ष स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से शासन में पुनरीक्षण (निगरानी याचिका) योजित की जाती है।

3. शासन स्तर पर पुनरीक्षण याचिका योजित किये जाने संबंधी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रायः यह पाया जाता है कि उक्त पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर नहीं होते हैं और न ही शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत होता है। उक्त के अतिरिक्त प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र के साथ पुनरीक्षणकर्ता का पहचान पत्र संलग्न नहीं होता है, जिसके कारण पुनरीक्षण के दौरान कई समस्यायें उत्पन्न होती हैं। अतः पुनरीक्षण (Revision) की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित तथ्यों/व्यवस्था को समावेशित किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

(1) पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाये।
(2) पुनरीक्षण प्रार्थना का प्रत्येक पृष्ठ पुनरीक्षणकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो।
(3) पुनरीक्षणकर्ता का स्वयं द्वारा प्रति हस्ताक्षरित पहचान पत्र प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया जाय।

डा0 रोशन जैकब
सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांकः उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को निदेशालय के सूचना पट्ट पर तत्काल आम जनमानस के लिये प्रदर्शित करने के साथ-साथ प्रदेश के मण्डलीय कार्यालयों एवं जनपदीय कार्यालयों में प्रचार प्रसार कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनश्चित कराने का कष्ट करें।
2. समस्त, मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3. समस्त, जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय/ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक। (द्वारा-निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश लखनऊ)
5. अपर निजी सचिव, सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश शासन को अनुपालनार्थ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in